

गणराजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

दिनांक 23/03/18

क्रमांक : एफ.55()पीए/सीई/डीएलवी/पीएचई/ 20781

स्वीकृति आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 204/2012 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा राज्य के आठ शहरों यथा- श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू एवं नोखा में जल प्रदाय योजनायें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। उक्त आठ नगर निकायों में से चार नगर निकायों को हस्तान्तरित शहरी जलापूर्ति में सुधार का कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत राशि रुपये 316.75 लाख संलग्न सूची अनुसार निम्नांकित बजट मद में व्यय अंकित करते हुये बूंदी, करौली, नाथद्वारा, एवं नोखा नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की एतद् द्वारा स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

मांग संख्या	बजट मद	राशि (लाखों में)
51	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विाष्ट संघटक योजना (08) - विभिन्न भाहरी निकायों,की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य [01] - विभिन्न भाहरी निकायों,की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य 17 - वृहद निर्माण कार्य (State fund voted)	53.48
30	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोगना (08) - विभिन्न भाहरी निकायों,की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य [01] - विभिन्न भाहरी निकायों,की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य 17 - वृहद निर्माण कार्य (State fund voted)	40.64
29	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800 - अन्य व्यय (01) - स्थानीय निकायों, निगमों, भाहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को [05] - सहायता 17 - विभिन्न भाहरी निकायों,की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य वृहद निर्माण कार्य (State fund voted)	222.63
	कुल योग	316.75

1. उक्त राशि का उपयोग तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जावेगा।
2. वर्ष 2017-18 में निकायों को आवंटित/हस्तान्तरित राशि में से शेष बची राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा संबंधित नगर परिषदों/पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक: 171800249 दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक : एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/पीएचई/ 20782-814

दिनांक

22/3/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व भूजल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव (बजट)/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि निकायों के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति जारी करावें।
7. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
9. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निवासी लेखा परिक्षाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर/जैसलमेर/बूंदी/नागौर/करौली/राजसमन्द/जयपुर -ग्रामीण/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि संबंधित नगरीय निकाय के निजी निक्षेप खाते में जमा करना सुनिश्चित करे।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद /पालिका, श्रीगंगानगर/जैसलमेर/ बूंदी/ नागौर/ करौली/ नाथद्वारा/ चौमू/ नोखा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटित राशि का उपयोग तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जाना सुनिश्चित करें। मदवार आवंटित राशि से अधिक व्यय करने पर आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें एवं नगरीय निकाय द्वारा उक्त राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों का विवरण निदेशालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
16. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्लान)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय।
17. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
18. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलसिय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते में जमा करना सुनिश्चित करे।
up load करने हेतु

नगरीय निकायों को हस्तान्तरित शहरी जल प्रदाय योजनाओं (बूंदी, करौली, नाथद्वारा एवं नोखा) में सुधार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी अनुदान राशि (आयोजना मद) का विवरण

आवृत्त राशि लाखों में

क्र.सं.	नाम निकाय / कोष कार्यालय	बजट मद			कुल
		4217-03-789-(08)-[01]-17 शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु- सहायतार्थ अनुदान (state fund voted)	4217-03-796-(08)-[01]-17 शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु-सहायतार्थ अनुदान (state fund voted)	4217-03-800-(01)-[05]-17 शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु- सहायतार्थ अनुदान (state fund voted)	
1	कोष कार्यालय, बूंदी (1100)	13.37	10.10	51.00	74.47
1	बूंदी				
1	कोष कार्यालय, करौली (1119)	13.37	10.10	51.00	74.47
2	करौली				
2	कोष कार्यालय, राजसमन्द (1123)	13.37	10.34	69.63	93.34
3	नाथद्वारा				
3	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)	13.37	10.10	51.00	74.47
4	नोखा	53.48	40.64	222.63	316.75
	योग				

(अक्षरों रूपसे गीन करोड़ सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव